

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु.नं. 18 सन् 2019

तारीख हुक्म

हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हुए

08.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिव हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।


प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का हंदा ने खाता दुरुस्ती वावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी 2073-76 की प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक हंदा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हंदा तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 25 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	हंदा	25	चंपा देवी बेवाह रेवंतराम हिस्सा 2.95 है., प्रमुराम, रामूराम, चन्दूराम, कमला गंगा, बसन्ती, सन्तु पि. रेवन्तराम बहिब हिस्सा 2.95 है. मघाराम, जेठाराम पि. किसनाराम बहिब हिस्सा 11.72 है., शारदा पत्नी कानाराम, हड़मानराम, ओमप्रकाश, गणेश, गोर्धन, बनवारीलाल, मदनलाल, अर्जुन, रूगनाथ पि. कानाराम बहिब हिस्सा 5.87 है., मोहनी पि. किसनाराम हिस्सा 3.36 है. बाकी मान्दा बदस्तूर जमाबंदी	चंपा देवी बेवाह रेवंतराम हिस्सा $\frac{2657}{27198}$ हि., प्रमुराम, रामूराम, चन्दूराम, कमला गंगा, बसन्ती, सन्तु पि. रेवन्तराम बहिब हिस्सा $\frac{2657}{27198}$ हि., मघाराम, जेठाराम पि. किसनाराम बहिब हिस्सा $\frac{3517}{9066}$ हि., शारदा पत्नी कानाराम, हड़मानराम, ओमप्रकाश, गणेश, गोर्धन, बनवारीलाल, मदनलाल, अर्जुन, रूगनाथ पि. कानाराम बहिब हिस्सा $\frac{5285}{27198}$ हि., मोहनी पि. किसनाराम हिस्सा $\frac{1513}{13599}$ हि. बाकी मान्दा बदस्तूर जमाबंदी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत